

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-08/गृह स्थल-04-01/2017- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय - बिहार गृह स्थल क्रय नीति, 2011 के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत गृह विहिनो के लिए वास भूमि हेतु उपबंधित कुल राशि रू0 1,56,66,000 (एक करोड छप्पन लाख छियासठ हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में (टी0एस0पी0) योजनान्तर्गत गृह विहिनो के लिए वास भूमि हेतु 156.66 लाख रूपये मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है।
3. राशि का व्यय विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जायगा।
4. उक्त राशि बजट मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-0101-गृह विहिनो के लिए वास भूमि माँग सं0-40, विपत्र कोड-40-4047007960101, विषय शीर्ष 5302 भू-अर्जन क अन्तर्गत विकलनाय हागा।
5. विभागीय संकल्प सं0-373(8) दिनांक-20.11.2014 द्वारा एम0भी0आर0 के आधार पर रैयती भूमि का क्रय करने का निर्णय लिया गया है।
6. राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 (वि0) दिनांक-17.04.1998 एव उस संदर्भ में निर्गत वित्त विभागीय पत्र सं0-3002 दिनांक-26.04.2017 के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के सभाहर्ता द्वारा सम्बन्धित कोषागार से की जायेगी।
8. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
9. राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

२०१-  
(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।

कृ०पृ०३०

ज्ञापक--8 / गृहस्थल-04-04 / 2011-

(8) / रा0. पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(प्रवीण कुमार झा).

सरकार के विशेष सचिव।

Email

ज्ञापक-8 / गृहस्थल-04-04 / 2011-

542- (8) / रा0. पटना-15, दिनांक 11/11/12

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्ता, बिहार/सभी जिला कायमार पदाधिकारी, बिहार/बजट शाखा-5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(प्रवीण कुमार झा).

सरकार के विशेष सचिव।